डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6—7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—370 / 2018

1. रणजीतकौर पुत्री अजमेरसिंह पत्नी स्व. नेलासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी थेड़ शहीदावाला तहसील रानियां जिला सिरसा हाल आबाद वार्ड नं. 23 टिब्बी तहसील टिब्बी
—वादी

बनाम्

1. सुरेन्द्र कौर पत्नी अजमेरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 2 जीजीआर तहसील टिब्बी।
2. अजमेरसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 2 जीजीआर तहसील टिब्बी।
3. भगवन्तसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 2 जीजीआर तहसील टिब्बी।
4. गुरपालसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 2 जीजीआर तहसील टिब्बी।
5. गुरजण्टसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 2 जीजीआर तहसील टिब्बी।

— प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील वादी मिन जानिब मुदई श्री रूपराम कासनियां प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से चक नं. 15 सीडीआर के खाता संख्या 100 / 85 में दर्ज प.नं. 205 / 266 में 8 कि.नं. 23 / 253,प.नं. 205 / 267 मु.नं. 9 कि.नं. 1 से 3 / .759 है, 8 से 10,12 / 1.012 है.इस प्रकार कुल 2.024 है. नहरी कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित की जाकर, चक नं. 15 सीडीआर के खाता संख्या 100 / 85 में से प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादीया के नाम से अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निज..........निल..........मुब्लिक.......निल..........बाबत्.......निल............खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 31.10.18 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31.10.18 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner